

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

बल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 10/2018/सत्र/मि-2

भोपाल, दिनांक 4/02/2018

प्रति,

1. जिला कलेक्टर समस्त जिले (म.प्र.)
2. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, म.प्र.
3. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, समस्त जिले, म.प्र.
4. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी समस्त जिले, म.प्र.

**विषय:** "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना स्वीकृत करने विषयक।

1. **सेवा का उद्देश्य :-** तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत करने के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शहरीय क्षेत्र में निवासरत प्रसूता को राशि रु 1000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रसूता को राशि रु 1400/- का भुगतान बैंक खाते में किया जाता है।

2. **पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा :-**

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. **पात्रता के मापदंड :-**

शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव होने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है।

4. **आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया :-**

क्र	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रक्रिया
1.	सभी प्रकार के प्रकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज 1. प्रसव उपरांत हॉस्पिटल का डिसचार्ज प्रमाण पत्र 2. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड 3. आधार कार्ड की प्रतिलिपि 4. आधार लिंक बैंक खाते की पासबुक की प्रति	- आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर

5. आवेदन करने का स्थान :- लोक सेवा केंद्र

6. आवेदन करने की प्रक्रिया :-

- 6.1 पात्रता अनुसार पूर्ण दस्तावेज सहित आवेदन लोक सेवा केंद्र में स्वीकार किये जायेंगे।
- 6.2 आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा।
- 6.3 आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में आवेदक को प्रदाय की जायेगी।
- 6.4 आवेदन भरते समय आवेदक/अन्य किसी संबंधित व्यक्ति का मोबाईल भरना नम्बर अनिवार्य होगा इसके अलावा अगर आधार एवं ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जायेगा।
- 6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा।

7. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया-

- 7.1 लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर द्वारा आवेदन सबमिट करते ही आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगा।
- 7.2 पदाभिहित अधिकारी द्वारा कंडिका 4 अनुसार पात्रता एवं दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा।
- 7.3 यदि आवेदक पात्र है तो पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण कर स्वीकृति आदेश जारी करते हुए स्वीकृति आदेश की प्रति mpedistrict पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।
- 7.4 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश अनुसार अधिकतम 10 दिवस में राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में किया जायेगा। (इसका उल्लेख स्वीकृति आदेश में भी होगा)
- 7.5 यदि आवेदक अपात्र है तो अपात्रता का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
- 7.6 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन/सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोर्टरी वेबसाइट/पोर्टल पर संधारित की जायेगी।




शुल्क -

8.1 विभाग द्वारा इस सेवा के लिए किसी भी प्रकार को कोई शुल्क नहीं है।

8.2 लोक सेवा केंद्र से आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क केंद्र संचालक को देना होगा।

9 अपील:- समाधान एक दिवस प्रक्रिया में भी अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आवेदक लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रावधानों अनुसार अपील कर सकेगा।



(गौरी सिंह)

प्रमुख सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण विभाग(म.प्र.)